संख्या-7 /2023/I/284865/2023/004-46-1002-003-6-2022

प्रेषक,

शेषनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी,
उ.प्र. लखनऊ

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक 06 मार्च, 2023

विषय:- अनुदान संख्या -24 (चीनी) के अन्तर्गत कतिपय वचनबद्ध मदों में कम पड़ रही धनराशियों का पुनर्विनियोग कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 266/लेखा-बजट(पुनर्विनियोग)/2022-23, दिनांक 02.02.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-24 (गन्ना) लेखाशीर्ष-''2852-उद्योग-08-उपभोक्ता उद्योग-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-चीनी आयुक्त का अधिष्ठान-01-वेतन'' में उपलब्ध धनराशि रू.1260.00 लाख में घटित होने वाली बचतों में से रू.18.00 लाख (रूपये अट्ठारह लाख मात्र) को ''2852-उद्योग-08-उपभोक्ता उद्योग-001-निदेशन एवं प्रशासन-03-चीनी आयुक्त का अधिष्ठान के अन्तर्गत 49-चिकित्सा व्यय में रू.18.00 लाख संलग्न प्रपत्र बी.एम.-9 (भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग की अनुमति सहित व्यय करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) उक्त पुनर्विनियोजित धनराशि व्यय करने के पूर्व वित्त विभाग द्वारा मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किए गए शासनादेशों एवं नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा व्यय केवल उक्त- स्वीकृत मदों पर ही किया जाये।

(2) उक्त बचत की धनराशि गन्ना एवं चीनी आयुक्त द्वारा सुनिश्चित की जायेगी। जिस मद से पुनर्विनियोग किया जा रहा है उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी तथा उसका सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(3) बजट मैनुअल तथा शासन के अस्थायी निर्देशों के अनुपालन में निर्धारित प्रारूपों में (बी.एम.-13) व्यय की सूचना शासन के वित्त विभाग, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग को चालू वित्तीय वर्ष के अन्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 18,00,000 (रुपये अठारह लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 024 **लेखा शीर्षक** 2852080010300 चीनी आयुक्त का अधिष्ठान- **मानक मद** 49 चिकित्सा व्यय के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शेषनाथ

विशेष सचिव।

संख्या-7 /2023/I/284865/2023, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/ द्वितीय उ.प्र., प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ.प्र., लखनऊ।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जिला आदर्श कोषागार, लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, कार्यालय गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।
5. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (बजट) अनुभाग-1
6. वित्त (आय-व्यय) अनुभाग-1 (दो प्रतियों में)
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

शेषनाथ

विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है